NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

NCRES/71/76/21 Date : 10.5.2021

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– ड्यिूटी करते हुये कोविड–19 महामारी के संक्रमण के शिकार हुये रेल कर्मचारियों को Ex-gratia Compentation दिया जाना।

संदर्भ :– NCRES का पत्र संख्या NCRES/84A/21 दिनांक 28.4.2021

महोदय,

अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी के शुरूवात से ही जहाँ रेल कर्मचारी बिना अपनी जान की परवाह किये ड्यिूटी कर पहले खाद्यान्न, दवायें एवं आवश्यक सामग्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचा रहा था वहीं अब आक्सीजन टैंकरो को विभिन्न प्रदेशो में पहुँचा कर लोगो की जान बचा रहा है।

यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि वर्तमान समय में कोविड–19 की दूसरी लहर बेहद खतरनाक एवं घातक है, तब भी रेल कर्मचारी चाहे वह गार्ड, ड्राइवर, ट्रैकमैन, स्टेशन मास्टर, पोर्टर हो या विभिन्न विभागो के टेक्नीशियन एवं सुपरवाइजर आदि हो, सभी अपने दायित्वो का निर्वहन पूर्ण रूप से कर रहे है और ड्यिूटी करते हुये तमाम कर्मचारी कोविड–19 के संक्रमण के शिकार होकर उन्होंने अपनी जान गवां दिया। इस प्रकार नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में तमाम ऐसे रेल कर्मचारी शहीद हुये है जिनके छोटे–छोटे बच्चे है और अपने माता/पिता के गुजर जाने से वे सभी अनाथ हो गये है।

NCRES का मानना है कि ऐसे मुश्किल समय में यदि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के प्रशासन ने उनका साथ न दिया तो, यह रेल कर्मचारियों के प्रति अन्याय होगा। इस सम्बन्ध में NCRES ने दिनांक 28.4.2021 को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस महामारी के दौर में कर्मचारियों की मृत्यु को “On Duty Death” माना जाय लेकिन संज्ञान में नही लिया गया।

NCRES का पुनः अनुरोध है कि कोविड–19 महामारी के संक्रमण से जान गवां चुके नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के कर्मचारियों के परिवारो की आर्थिक मदद देने हेतु उनकी मृत्यु को “On Duty Death” मानते हुये उन्हें 25 लाख रूपये का Ex-gratia Compensation दिया जाय जिससे आम कर्मचारी जो अभी भी अपनी जान की परवाह न करते हुये ड्यिूटी कर रहे है, उनके बीच भी सुरक्षा की भावना पैदा हो सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज